भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3517

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पादपों के सतत् प्रबंधन संबंधी योजना

3517. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत् प्रबंधन संबंधी योजना के अंतर्गत आज तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है;

(ख) उक्त योजना द्वारा आज तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य में कुल कितनी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है;

(ग) चालू परियोजनाओं में से पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें पूरा करने के लिए अनुमानित समय-सीमा क्या है तथा आज तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) उक्त योजना की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलापों के लिए वर्गीकृत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार किसानों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास उक्त योजना के कच्चे माल की गुणवत्ता जांच और प्रमाणन घटक के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई निधियों के संबंध में कोई आंकड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आज तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में "औषधीय पादप के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित कार्यकलापों को सहयोग प्रदान किया जाता है:

(i) औषधीय पादपों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन आदि जैसी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।

(ii) नर्सरियों की स्थापना।

(iii) *स्व-स्थाने* संरक्षण/*बाह्य-स्थाने* संरक्षण।

(iv) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी)/पंचायतों/वन पंचायतों/जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी)/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ आजीविका संबंध।

(v) अनुसंधान एवं विकास।

(vi) औषधीय पादपों के उत्पादन का संवर्धन, विपणन एवं व्यापार।

(vii) औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली और पिछली कड़ी (एकीकृत घटक) जिसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को सहयोग दिया जाता है:

- खेती के लिए औषधीय पादपों की रोपण सामग्री जुटाने हेतु गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री हेतु अवसंरचना ।

- किसानों को जागरूक करने के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) गतिविधियाँ।
- औषधीय पादपों की विपणन क्षमता बढ़ाने, उपज की गुणवत्ता बढ़ाने, लाभप्रदता बढ़ाने और घाटे को कम करने के लिए फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन हेतु अवसंरचना।
- कच्चे माल की गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन।

इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2024-25 के दौरान स्वीकृत/जारी सहायता अनुदान **संलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में "औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजना" को कार्यान्वित कर रहा है। वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या, पूरी हो चुकी परियोजनाएं, चल रही परियोजनाएं, आज तक जारी की गई निधियाँ और उनके पूरा होने के लिए अपेक्षित समय-सीमा के विवरण **संलग्नक-II** में दिए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत, कुछ क्षेत्रीय केंद्रों को परियोजना मोड के अंतर्गत भी सहयोग दिया जाता है। चल रहे/बंद किए गए क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्रों (आरसीएफसी) के विवरण और 2017-18 से आज तक इन आरसीएफसी को जारी की गई निधि के विवरण **संलग्नक-III** में दिए गए हैं।

(घ): राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय ने किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों के तहत 24 परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक इन प्रस्तावों के अंतर्गत लगभग 15,430 किसानों को प्रशिक्षण के लिए सहयोग दिया गया। विवरण **संलग्नक-IV** में दिए गए हैं।

(ड़) और (च): जी हाँ। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर आज तक औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के एकीकृत घटक 'औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली और पिछली कड़ी' के अंतर्गत 04 परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया है। इसके लिए आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम और उत्तराखंड को 442.50 लाख रुपये की राशि दी गई है। इसमें से राज्यों को कच्चे माल की गुणवत्ता जांच और प्रमाणन के लिए 23.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। विवरण **संलग्नक-V** में दिए गए हैं।

*****

संलग्नक-I

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
		जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	0.27	0.04	0.57	1.40
2	अरुणाचल प्रदेश	0.29	0.58	0.00	0.20
3	असम	2.80	4.37	0.59	0.83
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.95	0.62	0.69	0.00
6	दिल्ली	0.52	3.77	1.32	3.26
7	गोवा	0.00	0.27	0.00	0.20
8	गुजरात	6.36	3.50	0.37	6.45
9	हरियाणा	0.35	0.00	0.82	0.65
10	हिमाचल प्रदेश	1.29	1.47	1.48	3.03
11	जम्मू और कश्मीर	1.83	1.12	1.48	2.99
12	झारखंड	0.02	0.00	0.12	0.00
13	कर्नाटक	5.28	3.87	0.40	2.19
14	केरल	1.94	3.92	2.71	2.90
15	मध्य प्रदेश	1.28	2.22	0.56	0.89
16	महाराष्ट्र	1.00	1.52	1.66	1.85
17	मणिपुर	0.28	0.76	0.12	0.10
18	मेघालय	0.00	0.13	0.02	0.16
19	मिजोरम	2.12	2.49	0.71	1.40
20	नागालैंड	0.25	0.00	0.03	0.41
21	ओडिशा	0.61	0.79	0.36	0.51
22	पंजाब	0.26	0.60	0.34	0.75
23	राजस्थान	0.24	0.00	0.34	0.33
24	सिक्किम	0.66	5.27	0.02	0.38
25	तमिलनाडु	1.61	1.69	0.99	0.64
26	तेलंगाना	0.37	3.59	0.40	0.21
27	त्रिपुरा	0.25	0.00	0.03	0.15
28	उत्तराखंड	0.51	3.20	0.23	2.39
29	उत्तर प्रदेश	4.05	0.61	0.80	1.19
30	पश्चिम बंगाल	1.54	1.65	2.33	1.69
31	अंडमान और निकोबार	0.00	0.10	0.00	0.00
32	चंडीगढ़	0.28	0.00	0.00	0.15
33	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
34	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.26	0.00	0.00	0.00
36	पांडिचेरी	0.21	0.00	0.23	0.56
37	लद्दाख	0.00	0.10	0.27	0.28
कुल		**37.68**	**48.25**	**19.99**	**38.14**

संलग्नक - II

वित्त वर्ष 2021-22 से आज तक औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं के लिए सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	चालू परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई राशि (लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	10	1	9	142.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	2	56.45
3.	असम	19	5	14	526.952
4.	बिहार	2	-	2	-
5.	छत्तीसगढ	1	-	1	198.4
6.	दिल्ली	32	11	21	29.134
7.	गोवा	1	-	1	4.2
8.	गुजरात	11	2	9	639.754
9.	हरियाणा	12	1	11	79.2
10.	हिमाचल प्रदेश	14	-	14	226.195
11.	जम्मू और कश्मीर	13	-	13	178.038
12.	झारखंड	5	-	5	33.1
13.	कर्नाटक	21	2	19	923.925
14.	केरल	17	-	17	131.52
15.	मध्य प्रदेश	16	4	12	170.8
16.	महाराष्ट्र	15	2	11*	207.45
17.	मणिपुर	5	-	5	115.9
18.	मेघालय	2	-	2	2.00
19.	मिजोरम	7	-	7	203.45
20.	नागालैंड	2	-	2	46.125
21.	ओडिशा	16	4	12	105.96
22.	पंजाब	7	1	6	51.9
23.	राजस्थान	7	-	7	32.65
24.	सिक्किम	2	-	2	467.92
25.	तमिलनाडु	44	6	38	232.08
26.	तेलंगाना	8	2	6	378.39
27.	त्रिपुरा	-	-	-	43
28.	उत्तराखंड	22	-	22	505.82
29.	उत्तर प्रदेश	24	2	22	144.1
30.	पश्चिम बंगाल	9	3	6	124.82
31.	अंडमान और निकोबार	-	-	-	-
32.	चंडीगढ़	2	-	2	43
33.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-

* कुछ परियोजनाएं बंद/रद्द कर दी गईं

34.	दमन और दीव	-	-	-	-
35.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
36.	पांडिचेरी	3	-	3	8.925
37.	लद्दाख	4	-	4	10.75
कुल		**359**	**46**	**311**	**6226.7768**

समयसीमा के बारे में यह भी कहा जाता है कि केंद्रीय क्षेत्र योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, परियोजनाओं को 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सहायता दी जाती है और परियोजना की प्रगति रिपोर्ट के मूल्यांकन के बाद दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाती है। तदनुसार, चल रही परियोजनाओं की समयसीमा भिन्न हो सकती है।

संलग्नक-III

क्र.सं.	क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र	आज तक जारी की गई निधि (₹ लाख में)
1.	**आरसीएफसी (उत्तरी क्षेत्र - 1)** भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान (आरआईआईएसएम), जोगिंदर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश - 175 015	625.98242
2.	**आरसीएफसी (उत्तरी क्षेत्र - 2)** शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर (एसकेयूएएसटी-के), कृषि संकाय, वादूरा, सोपोर- 193201, जम्मू और कश्मीर	679.94130
3.	**आरसीएफसी (पूर्वी क्षेत्र)** जादवपुर विश्वविद्यालय, 188, राजा एससी मल्लिक रोड, कोलकाता - 700032, पश्चिम बंगाल	855.67059
4.	**आरसीएफसी (पश्चिमी क्षेत्र)** वनस्पति विज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे-411007, महाराष्ट्र	489.29454
5.	**आरसीएफसी (दक्षिणी क्षेत्र)** केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई), पीची - 680653, त्रिशूर, केरल	901.97454
6.	**आरसीएफसी (मध्य क्षेत्र)** राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एसएफआरआई), जबलपुर, मध्य प्रदेश **(परियोजना 2017-18 से 2022-23 तक क्रियान्वित)**	420.25615
7.	**आरसीएफसी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)** (i) असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम 785006 **(परियोजना 2018-19 से 2020-2021 तक क्रियान्वित)** (ii) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद - पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनईआईएसटी), एनएच-37, पुलीबोर, जोरहाट, असम 785006 (परियोजना सितम्बर, 2021 से अब तक जारी है)	89.76 246.58750
	कुल	**4309.46704**

संलग्नक - IV

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के अंतर्गत एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किसानों के विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		कुल	
		परियोजनाओं की संख्या	किसानों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	किसानों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	किसानों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	किसानों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	किसानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1	150	0	0	0	0	0	0	1	150
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	720	0	0	0	0	1	720
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ	0	0	1	4000	0	0	0	0	1	4000
7	दिल्ली	0	0	1	2250	0	0	0	0	1	2250
8	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	0	0	0	0	1	300	0	0	1	300
10	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	600	1	600	2	1200
12	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	झारखंड	0	0	1	240	0	0	0	0	1	240
14	कर्नाटक	1	850	0	0	0	0	1	500	2	1350
15	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मध्य प्रदेश	1	200	1	1820	0	0	0	0	2	2020
17	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	उड़ीसा	1	50	1	100	0	0	0	0	2	150
23	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	1	550	1	550
26	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	तमिलनाडु	1	200	2	550	0	0	2	250	5	1000
28	तेलंगाना	0	0	0	0	1	350	0	0	1	350
29	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	उत्तर प्रदेश	1	300	1	60	0	0	0	0	2	360
32	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	700	1	700
कुल		**6**	**1750**	**9**	**9740**	**3**	**1250**	**6**	**2600**	**24**	**15340**

संलग्नक-V

वित्तीय वर्ष 2023-24 से अब तक औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के एकीकृत घटक - 'औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली और पिछली कड़ी' के अंतर्गत सहायता प्राप्त कच्चे माल के गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन का विवरण।

क्र.सं.	**राज्य**	**गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन**	**वित्तीय अनुमोदन (लाख रुपए में)**
1	आंध्र प्रदेश	गुणवत्ता परीक्षण (प्रतिदर्शों की संख्या)	5
		प्रमाणीकरण (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	2.5
		उप योग	**7.5**
2	जम्मू और कश्मीर	गुणवत्ता परीक्षण(प्रतिदर्शों की संख्या)	1
		प्रमाणीकरण(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	1
		उप योग	**2**
3	मिजोरम	गुणवत्ता परीक्षण(प्रतिदर्शों की संख्या)	5
		प्रमाणीकरण(प्रतिदर्शों की संख्या)	2.5
		उप योग	**7.5**
4	उत्तराखंड	गुणवत्ता परीक्षण(प्रतिदर्शों की संख्या)	3
		प्रमाणीकरण(प्रतिदर्शों की संख्या)	3
		उप योग	**6**
योग		**गुणवत्ता परीक्षण**	**14**
		प्रमाणीकरण	**9**
		योग	**23**